5.5.18 पत्रावली आज ~~[illegible]~~ चार्ट उदयपुरवाटी में पेश है। पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अ. धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय प्रथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होने बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner